

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 676/2012/भरतपुर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग वृत्त-‘ए’, भरतपुर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी, गोपालगढ़, पहाड़ी.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री सी. बी. अग्रवाल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 31/3/2014

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग वृत्त-‘ए’, भरतपुर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा जायेगा) के अपील संख्या 73/उपा-अपील्स/2011-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.10.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वैट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों के अनुसार व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में दर्शायी गयी खरीद पर आगत कर का मुजरा लिया गया है। प्रत्यर्थी को उसके विक्रेता व्यवहारी ने विक्रय उपरान्त ट्रेड डिस्काउण्ट के रूपये 5,09,374/- प्राप्त हुए हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये वैट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत आदेश दिनांक 31.01.2011 पारित करते हुए कर निर्धारण आदेश में उक्त डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए वैट रूपये 63,676/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

लगभग.....2

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य का भाग होने से कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की विक्रय राशि पर करारोपण करने में कोई भूल नहीं की थी। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रय किये गये माल के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कर अदा किया जाता है। प्रत्यर्थी ने आलौच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किये गये माल की खरीद पर चुकाये गये कर का इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए कर आरोपण कर दिया। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी ने प्रपत्र वैट-07 में वर्णित सम्पूर्ण खरीद पर वैट कर चुकाया है एवं विक्रेता ने उस कर को राज्य सरकार को अदा कर दिया। क्रेडिट नोट में कर राशि को लौटाया नहीं गया है। विक्रेता की ओर से प्रत्यर्थी को दिये गये मासिक/वार्षिक ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि वैट अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार भी विक्रेता के विक्रय मूल्य में से कम नहीं हो सकती। अतएव विक्रेता द्वारा वैट इन्वॉयस के सम्पूर्ण विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जाकर की गई खरीद के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को प्रत्यर्थी के खरीद मूल्य में से कम करते हुए प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए इस पर कर आरोपित करना पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त तर्कों के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी उदयपुर; माननीय केरला उच्च न्यायालय के प्रिया एजेन्सीज के न्यायिक दृष्टान्त (2008) 14 वी. एस.टी. 293 एवं माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय के मद्रास सीमेंट लिमिटेड के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 35 वी.एस.टी. 14 का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य में जोड़ते हुए कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है। ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में 'विक्रय मूल्य' को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-


(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. - Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वायस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थी के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है तथा ट्रेड डिस्काउण्ट विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर आरोपित कर अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। कर बोर्ड की एकलपीठ के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 व 270 में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
31/3 सदस्य